झारखंड उच्च न्यायालय, राँची

एल. पी. ए. संख्या 77/2023

------

1. झारखंड राज्य।
2. महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक, झारधारा, रांची, पुलिस मुख्यालय, डाक घर- धुरवा, थाना- जगन्नाथपुर, जिला-रांची।
3. पुलिस महानिरीक्षक (प्रावधान), पुलिस मुख्यालय, डाक घर- धुरवा, थाना- जगन्नाथपुर, जिला-रांची।
4. पुलिस अधीक्षक, दुमका, डाक घर और थाना दुमका, जिला-दुमका।

.... उत्तरदाता / अपीलार्थी

बनाम

1. लाखीलाल हंसदा **.... .... याचिकाकर्ता / प्रतिवादी**
2. महालेखाकार, झारधारा, डाक घर. और थाना- डोरंडा, जिला-रांची।

.... प्रतिवादी/उत्तरदाता

कोरम : माननीय श्री न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद

: माननीय श्री न्यायाधीश अरुण कुमार राय

राज्य के लिए : श्रीमती वंदना सिंह, सीनियर एस.सी
सुश्री अपूर्वा सिंह, सीनियर एस.सी की ए.सी

उत्तरदाताओ के लिए; : श्री सुदर्शन श्रीवास्तव, अधिवक्ता
विश्वनाथ मून, अधिवक्ता
सुश्री श्रुति श्रेष्ठ, अधिवक्ता

<u>05/तारीखः15.04.2024</u>

<u>प्रति सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया०</u>

1. तत्काल अदालत के भीतर अपील डब्ल्यू. पी. (एस) संख्या 3478/2010 में इस अदालत के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश/निर्णय दिनांक 15.09.2022 के खिलाफ निर्देशित लेटर्स पेटेंट के धारा-10 के तहत है, जिसके तहत और जिसके तहत, पुलिस महानिरीक्षक (प्रावधान), झारधारा सरकार, रांची द्वारा पारित 09.03.2010 के आदेश को रद्द कर दिया गया है।

<u>आई.ए संख्या 6955/2023</u>

2. तत्काल अपील को 177 दिनों की अत्यधिक देरी से रोक दिया गया है, इसलिए, उपरोक्त देरी को माफ करने के लिए आई.ए संख्या 6955/2023 आवेदन दायर किया गया है।

3. इस न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि तत्काल अंतर-न्यायालय अपील को 177 दिनों की अत्यधिक देरी के बाद दायर किया गया है, यह उचित और उचित समझता है कि योग्यता के आधार पर विवादित आदेश की वैधता और औचित्य में जाने से पहले विलंब माफी आवेदन पर विचार किया जाए।

4. तत्काल अंतर्वर्ती आवेदन में की गई अभिवचन के अनुसार देरी को माफ करने का आधार लिया गया है कि अपीलकर्ता को डब्ल्यू. पी. (एस) संख्या 3478/2010 में 24.11.2022 पर पारित आदेश का पता चला, इसके बाद, इसे पुलिस मुख्यालय की कानूनी धारा द्वारा से कानूनी राय प्राप्त करने के लिए 20.12.2022 पर अवर सचिव को भेज दिया गया है। 21.12.2022 पर, अपर सचिव ने इसे अतिरिक्त सचिव को भेज दिया।महानिदेशक (मुख्यालय) और उसके बाद, मामले में आगे बढ़ने के लिए कानूनी राय लेने का निर्देश दिया गया। 03.01.2023 पर, पुलिस मुख्यालय ने महाधिवक्ता के समक्ष कानूनी राय के लिए फाइल पेश की और 17.01.2023 पर डब्लू.पी.एस संख्या 3478/2010 में पारित दिनांकित 15.09.2022 आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की राय दी गई है।इसके बाद, दस्तावेज़ और प्रासंगिक अभिलेख प्राप्त किए गए और 19.01.2023 पर तथ्यों और अपील के आधारों का विवरण तैयार करने के लिए अधिवक्ता को दिए गए।

5. अपील के आधार और तथ्यों के विवरण को विभाग द्वारा 07.02.2023 पर अनुमोदित किया गया है और इसे 09.02.2023 पर संबंधित सरकारी वकील को सौंप दिया गया है और फिर तत्काल अपील का मसौदा तैयार किया गया और 14.02.2023 पर दायर किया गया, जो अपीलार्थियों के अनुसार जानबूझकर नहीं है, बल्कि प्रक्रियात्मक सौदेबाजी और अंतिम निर्णय लेने के कारण है, अपीलकर्ता द्वारा कुछ अतिरिक्त समय लिया गया है।

6. इसलिए राज्य-अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ एस.सी-III ने देरी को माफ करने का अनुरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि तत्काल अंतर्वर्ती आवेदन में दिया गया कारण देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त है।

7. हमने विलंब माफी आवेदन पर पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और उस पर विचार करने से पहले, यह न्यायालय कुछ कानूनी प्रस्ताव को संदर्भित करना उचित और उचित समझता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अत्यधिक देरी को माफ करने में न्यायालय के दृष्टिकोण के संबंध में प्रस्तावित किया गया है।

8. इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि आम तौर पर एल. आई. एस. को सीमा के तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से यदि अपील दायर करने में अत्यधिक देरी होती है, तो न्यायालय का कर्तव्य है कि वह एल. आई. एस. की योग्यता में प्रवेश करने से पहले देरी को माफ करने के लिए आवेदन पर विचार करे।

9. इसमें यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि सीमा का कानून निहित है। *कानूनी अधिकतम ब्याज फिर से प्रकाशित करें ताकि मुकदमे खत्म हो जाएं में* (यह इसके लिए है) सामान्य कल्याण कि एक अवधि मुकदमेबाजी के लिए रखी जाए)।सीमा के नियम पक्षों के अधिकारों को नष्ट करने के लिए नहीं हैं, बल्कि विचार है कि प्रत्येक कानूनी उपाय को विधायी रूप से निर्धारित अवधि के लिए जीवित रखा जाना चाहिए, जैसा कि बृजेश कुमार एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, (2014) 11 एस. सी. सी. 351 द्वारा दिए गए निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया गया है।

10. प्रिवी काउंसिल ने ***जनरल एक्सीडेंट फायर और जीवन बीमा निगम लिमिटेड बनाम जानमोहम्मद अब्दुल रहीम, (1939-40),1932 67 आइए 416*** ने टैगोर लॉ लेक्चरर्स में श्री मित्रा के लेखन पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया है किः

"सीमा और प्रिस्क्रिप्शन का कानून किसी विशेष मामले में कठोर और अन्यायपूर्ण रूप से काम करता प्रतीत हो सकता है, लेकिन यदि कानून एक सीमा का प्रावधान करता है, तो इसे किसी विशेष पक्ष के लिए कठिनाई के जोखिम पर भी लागू किया जाना चाहिए क्योंकि न्यायाधीश, न्यायसंगत आधारों पर, कानून द्वारा अनुमत समय को बढ़ा नहीं सकता है, इसके संचालन को स्थगित नहीं कर सकता है, या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त अपवादों को लागू नहीं कर सकता है।"

11. ***पी. के. रामचंद्रन बनाम केरल राज्य, (1997) 7 एस. सी. सी. 556,*** शीर्ष न्यायालय ने 565 दिनों की देरी को माफ करने के मामले पर विचार करते हुए, जिसमें देरी को माफ करने के लिए बहुत कम उचित या संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था, अनुच्छेद-6 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"6. सीमा का कानून किसी विशेष पक्ष को कठोरता से प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसे अपनी पूरी कठोरता के साथ लागू करना पड़ता है जब अधिनियम इस तरह निर्धारित करता है और अदालतों के पास न्यायसंगत आधार पर सीमा की अवधि बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं होती है।"

12. इसी तरह के मुद्दे पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***ईशा भट्टाचार्जी बनाम रघुनाथपुर नफ़र अकादमी (2013) 12 एस. सी. सी. 649***, जिसमें यह निम्नानुसार आयोजित किया गया हैः

"21.5 (v) 5 के लिए निंदनीय सद्भावना की कमी विलंब की क्षमा की मांग करने वाला पक्ष एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक तथ्य है।

21.7.(vii) उदार दृष्टिकोण की अवधारणा को तर्कसंगतता की अवधारणा को समाहित करना होगा और इसे पूरी तरह से मुक्त खेल की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

21.9.((ix) किसी पक्ष की निष्क्रियता या लापरवाही से संबंधित आचरण, व्यवहार और दृष्टिकोण प्रासंगिक कारक हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए।यह इसलिए है क्योंकि मूल सिद्धांत यह है कि अदालतों को दोनों पक्षों के संबंध में

न्यायाधीश के संतुलन के पैमाने को तौलना आवश्यक है और उक्त सिद्धांत को उदार दृष्टिकोण के नाम पर पूरी तरह से मंजूरी नहीं दी जा सकती है।

22.4.(घ) विलंब को एक गैर-गंभीर मामले के रूप में समझने की बढ़ती प्रवृत्ति और इसलिए, अभावपूर्ण प्रवृत्ति को गैर-लापरवाह तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है, निश्चित रूप से, कानूनी मापदंडों के भीतर नियंत्रित करने की आवश्यकता है।"

13. कानून की यह स्थिर स्थिति है कि जब कोई वादकारी नेक इरादे से कार्य नहीं करता है और साथ ही, अपनी ओर से निष्क्रियता और लापरवाही के कारण, अपील दायर करने की सीमा की अवधि समाप्त हो जाती है, तो ऐसे नेक इरादे की कमी और घोर निष्क्रियता और लापरवाही महत्वपूर्ण कारक हैं जिन्हें देरी की माफी के प्रश्न पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस संबंध में खण्ड पीठ द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है। ***गुजरात राज्य द्वारा सचिव और अन्य बनाम आर. कनुभाई कांतिलाल राणा, 2013 एस. सी. सी. ऑनलाइन गुजरात 4202,*** में गुजरात उच्च न्यायालय ने जिसमें, अनुच्छेद-17 में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "कानून ने 6 को प्राथमिकता देने के लिए 30 दिनों की सीमा की एक निश्चित अवधि निर्धारित की है। अपील करते हुए, सरकार सीमा अवधि के प्रावधानों को नजरअंदाज नहीं कर सकती क्योंकि विधायिका का यह इरादा कभी नहीं था कि जब सरकार अपीलकर्ता हो तो सीमा की एक अलग अवधि होनी चाहिए।"

14. पोस्ट मास्टर जनरल एवं अन्य बनाम लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड एवं अन्य के मामले [(2012) 3 एस. सी. सी. 563], में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 27 से 29 द्वारा में यह आयोजित किया गया है निम्नानुसार हैः

*"**27**. यह विवाद में नहीं है कि संबंधित व्यक्ति (व्यक्ति) इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करके मामले को उठाने के लिए सीमा की निर्धारित अवधि सहित शामिल मुद्दों से अच्छी तरह से अवगत या परिचित थे।वे यह दावा नहीं कर सकते कि उनके पास सीमा की एक अलग अवधि है जब विभाग अदालत की कार्यवाही से परिचित सक्षम व्यक्तियों के साथ था।प्रशंसनीय और स्वीकार्य स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति में में, हम एक सवाल उठा रहे हैं कि देरी*

को केवल इसलिए यांत्रिक रूप से माफ किया जाना चाहिए क्योंकि सरकार या सरकार की एक शाखा हमारे सामने एक पक्ष है।

28*. यद्यपि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि देरी को माफ करने के मामले में जब कोई घोर लापरवाही या जानबूझकर निष्क्रियता या ईमानदारी की कमी नहीं थी, तो पर्याप्त न्यायाधीश को आगे बढ़ाने के लिए एक उदार रियायत अपनाई जानी चाहिए, हमारा विचार है कि तथ्यों और परिस्थितियों में, विभाग पहले के विभिन्न निर्णयों का लाभ नहीं उठा सकता है।उपयोग की जा रही और उपलब्ध आधुनिक तकनीकों को देखते हुए अवैयक्तिक तंत्र और कई नोट बनाने की विरासत में मिली नौकरशाही पद्धति के कारण दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।सीमा का कानून निस्संदेह सरकार सहित सभी को बांधता है।*

29*. हमारे विचार से सभी सरकारी निकायों, उनकी एजेंसियों और 7 को सूचित करने का यह सही समय है। तर्क यह है कि जब तक उनके पास देरी के लिए उचित और प्रतिग्रहण करन्ाय स्पष्टीकरण नहीं है और प्रामाणिक प्रयास नहीं किया गया है, तब तक सामान्य स्पष्टीकरण को प्रतिग्रहण करना करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि प्रक्रिया में काफी हद तक प्रक्रियात्मक लालफीताशाही के कारण फाइल को कई महीनों/वर्षों तक लंबित रखा गया था।सरकारी विभागों का यह सुनिश्चित करने का विशेष दायित्व है कि वे परिश्रम और प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें।विलम्ब का निषेध एक अपवाद है और इसका उपयोग सरकारी विभागों के लिए एक प्रत्याशित लाभ के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। कानून सभी को एक ही प्रकाश में आश्रय देता है और कुछ लोगों के लाभ के लिए इसे घुमाया नहीं जाना चाहिए।"*

15. इसी तरह, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम चैत्रम मेवाडे, [(2020) 10 एस. सी. सी. 667],*** के बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख करते हुए ***डाक मास्टर जनरल और अन्य बनाम लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड और अन्य*** में (उपर्युक्त) ने अनुच्छेद 1 से 5 में कहा हैः

*"**1.** मध्य प्रदेश राज्य बार-बार एक ही काम करना जारी रखता है और आचरण में सुधार नहीं किया जा सकता है।विशेष अनुमति याचिका 588 दिनों की देरी के बाद दायर की गई है। हमारे पास एम. पी. बनाम मध्य प्रदेश राज्य में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अपील दायर करने में अत्यधिक देरी से निपटने का अवसर था।भेरूलाल [एम. पी. बनाम राज्य।भेरूलाल, (2020) 10 एस. सी. सी. 654] हमारे दिनांकित 15-10-2020 आदेश के संदर्भ में।*

***2.** हमने उस मामले में एक विस्तृत आदेश लिखा है और हम उसी तर्क को फिर से दोहराने का कोई उद्देश्य नहीं देखते हैं, सिवाय उन तथ्यों को आदेश करने के जिनके आधार पर देरी को माफ करने की मांग की गई है। 5-1-2019 पर, यह कहा गया है कि सरकारी अधिवक्ता से निर्णय 8 के संबंध में संपर्क किया गया था।13-11-2018 [चैत्रम मेवाडे बनाम एम. पी. राज्य, 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन एच. पी. 1632] पर वितरित किया गया और विधि विभाग ने 26-5-2020 पर विवादित आदेश के खिलाफ एस. एल. पी. दाखिल करने की अनुमति दी।इस प्रकार, विधि विभाग को यह तय करने में लगभग 17 महीने का समय लगा कि एसएलपी दायर की जानी है या नहीं।कानूनी विभाग के लिए अक्षमता का इससे बड़ा प्रमाण पत्र और क्या होगा।*

***3.** हम मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव को विधि विभाग के पुनर्गठन के पहलू पर गौर करने का निर्देश देना उचित समझते हैं क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग किसी भी उचित अवधि के भीतर अपील दायर करने में असमर्थ है, बहुत कम समय सीमा के भीतर। इस प्रकार के बहाने, जैसा कि पूर्वोक्त आदेश में पहले ही दर्ज किया जा चुका है, पोस्टमास्टर जनरल बनाम लिविंग मीडिया (इंडिया) लिमिटेड [पोस्टमास्टर जनरल बनाम लिविंग मीडिया (इंडिया) लिमिटेड, (2012) 3 एससीसी 563: (2012) 2 एससीसी (सीआईवी) 327: (2012) 2 एससीसी (सीआरआई) 580: (2012) 1 एससीसी (एल एंड एस) 649] में निर्णय के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं हैं।*

***4.** हमने अपनी चिंता यह भी व्यक्त की है कि इस तरह के मामले केवल "प्रमाण पत्र मामले" हैं जो इस मुद्दे को शांत करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से*

बर्खास्तगी का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं।इसका उद्देश्य उन अधिकारियों की त्वचा को बचाना है जो चूक में हो सकते हैं।हमने उस स्थिति की विडंबना भी दर्ज की है जहां उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है जो इन फाइलों पर बैठते हैं और कुछ नहीं करते हैं।

5. *देरी की अवधि और जिस आकस्मिक तरीके से आवेदन किया गया है, न्यायिक समय की बर्बादी को देखते हुए, हम याचिकाकर्ता राज्य पर मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति के साथ जमा किए जाने के लिए 35,000 रुपये का खर्च लगाते हैं।यह राशि चार सप्ताह के भीतर जमा की जानी चाहिए।9 के लिए जिम्मेदार अधिकारी (ओं) से राशि की वसूली की जाए। फाइलों को दाखिल करने और उन पर बैठने में देरी और उक्त राशि की वसूली का प्रमाण पत्र भी उक्त अवधि के भीतर इस न्यायालय में दाखिल किया जाना चाहिए।हमने उप महाधिवक्ता को आगाह किया है कि इस तरह के किसी भी लगातार मामलों के लिए लागत बढ़ती रहेगी।"*

16. ***रामलाल, मोतीलाल और छोटेलाल बनाम रीवा कोलफील्ड्स लिमिटेड, (1962) 2 एस. सी. आर. 762*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि केवल दिए गए मामले के तथ्यों में पर्याप्त कारण बताया गया है, इसलिए अपीलकर्ता को देरी को माफ करने का कोई अधिकार नहीं है।अनुच्छेद-12 में इसे इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया हैः-

"12. हालाँकि, इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि पर्याप्त कारण दिखाए जाने के बाद भी एक पक्ष अधिकार के रूप में प्रश्न में देरी की माफी का हकदार नहीं है।धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए पर्याप्त कारण का प्रमाण एक पूर्ववर्ती शर्त है।यदि पर्याप्त कारण साबित नहीं होता है तो आगे कुछ नहीं किया जाना चाहिए; देरी को माफ करने के लिए आवेदन को केवल उसी आधार पर खारिज किया जाना चाहिए।यदि पर्याप्त कारण दिखाया जाता है तो अदालत को यह पूछना होगा कि क्या उसे अपने विवेक से देरी को माफ करना चाहिए।इस मामले का यह पहलू स्वाभाविक रूप से सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने का परिचय देता है और यह इस स्तर पर है कि पक्ष की परिश्रम या उसकी ईमानदारी पर विचार किया जा सकता है; लेकिन

पर्याप्त कारण दिखाए जाने के बाद विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते समय जांच का दायरा स्वाभाविक रूप से केवल ऐसे तथ्यों तक ही सीमित होगा जिन्हें अदालत प्रासंगिक मान सकती है।यह इस जांच को उचित नहीं ठहरा सकता कि पार्टी अपने पास उपलब्ध सभी समय के दौरान बेकार क्यों बैठी रही।इस संबंध में हम यह इंगित कर सकते हैं कि ईमानदारी या उचित परिश्रम के विचार हमेशा सामग्री और प्रासंगिक होते हैं जब अदालत 10 साल की होती है।सीमा अधिनियम की धारा 14 के तहत किए गए आवेदनों से निपटना। ऐसे आवेदनों से निपटने में न्यायालय से धारा 5 और 14 के संयुक्त प्रावधानों के प्रभाव पर विचार करने के लिए कहा जाता है।इसलिए, हमारी राय में, धारा 14 के प्रावधानों द्वारा स्पष्ट रूप से सामग्री और प्रासंगिक बनाए गए विचारों को उन आवेदनों से निपटने में उसी हद तक और उसी तरह से लागू नहीं किया जा सकता है जो धारा 14 के संदर्भ के बिना केवल धारा 5 के तहत तय किए जाते हैं।वर्तमान मामले में यह अभिनिर्धारित करने में कोई कठिनाई नहीं है कि विवेकाधिकार का उपयोग अपीलकर्ता के पक्ष में किया जाना चाहिए क्योंकि सीमा की अवधि के दौरान अपीलकर्ता की परिश्रम की कमी के खिलाफ की गई सामान्य आलोचना के अलावा इसके खिलाफ कोई अन्य तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया था।वास्तव में, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, विद्वत न्यायिक आयुक्त ने विलंब की माफी के लिए अपीलार्थी के आवेदन को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि निर्धारित अवधि के भीतर जल्द से जल्द अपील दायर करना अपीलार्थी का कर्तव्य था, और यह, हमारी राय में, एक वैध आधार नहीं है।

17. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विलम्ब क्षमा आवेदन पर विचार करते समय, विधि न्यायालय को विलम्ब की क्षमा के लिए पर्याप्त कारण पर विचार करने की आवश्यकता है और साथ ही वादकारी के दृष्टिकोण पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि क्या यह प्रामाणिक है या नहीं क्योंकि सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद, दूसरे पक्ष के पक्ष में एक अधिकार अर्जित किया जाता है और इस तरह, वादकारी के प्रामाणिक उद्देश्य पर ध्यान देना आवश्यक है और साथ ही, उसकी ओर से निष्क्रियता और बाधाओं के कारण।

18. इसमें यह भी उल्लेख करने की आवश्यकता है कि 'पर्याप्त कारण' का अर्थ क्या है। 'पर्याप्त कारण' के अर्थ पर विचार इसे ***बसावराज और अन्य बनाम स्प्ल. भूमि अधिग्रहण अधिकारी, [(2013) 14 एस. सी. सी. 81],*** में बनाया गया है। जिसमें, यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 9 से 15 के तहत अभिनिर्धारित किया गया हैः-

> *"**9**. पर्याप्त कारण वह कारण है जिसके लिए प्रतिवादी को उसकी अभाव के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।"पर्याप्त" शब्द का अर्थ "उचित" या "काफी" है, क्योंकि इच्छित उद्देश्य का उत्तर देने के लिए आवश्यक हो सकता है।इसलिए, "पर्याप्त" शब्द में उससे अधिक कुछ नहीं है जो एक तर्क प्रदान करता है, जो जब कार्य किया जाता है तो किसी मामले में मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों में इच्छित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त होता है, जिसकी विधिवत जांच एक सतर्क व्यक्ति के उचित मानक के दृष्टिकोण से की जाती है।इस संदर्भ में, "पर्याप्त कारण" का अर्थ है कि पक्ष को लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए था या किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उसकी ओर से ईमानदारी की कमी थी या यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि पक्ष ने "लगन से काम नहीं किया" या "निष्क्रिय रहा"।हालांकि, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को पर्याप्त आधार प्रदान करना चाहिए ताकि संबंधित अदालत इस कारण से विवेक का प्रयोग कर सके कि जब भी अदालत विवेक का प्रयोग करती है, तो इसका विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए।आवेदक को अदालत को संतुष्ट करना चाहिए कि उसे अपने मामले पर मुकदमा चलाने से किसी भी "पर्याप्त कारण" से रोका गया था, और जब तक कि एक संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तब तक अदालत को देरी की माफी के लिए आवेदन की अनुमति नहीं देनी चाहिए।अदालत को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या गलती प्रामाणिक है या केवल किसी अन्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक उपकरण थी।(देखें मानिंद्रा भूमि और भवन निगम लिमिटेड बनाम भूतनाथ बनर्जी [ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1336], माता दिन बनाम ए. नारायणन [(1969) 2 एस. सी. सी. 770:ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 1953], परिमल बनाम वीणा [(2011) 3 एस. सी. सी. 545:(2011) 2 एस. सी. सी. (सी.*

वी.) 1:ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 1150] और मनीबेन देवराज शाह बनाम नगर निगम बृहद मुंबई [(2012) 5 एससीसी 157:(2012) 3 एस. सी. सी. (सी. वी.) 24:ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 1629]।)

10. अर्जुन सिंह बनाम मोहिंद्र कुमार [ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 993] में इस न्यायालय ने "अच्छे कारण" और "पर्याप्त कारण" के बीच के अंतर को समझाया और कहा कि प्रत्येक "पर्याप्त कारण" एक अच्छा कारण है और इसके विपरीत। हालाँकि, यदि कोई अंतर मौजूद है तो यह केवल यह हो सकता है कि अच्छे कारण की आवश्यकता का पालन "पर्याप्त कारण" की तुलना में कम प्रमाण मात्रा किया जाए।

11. "पर्याप्त कारण" अभिव्यक्ति को यह सुनिश्चित करने के लिए एक उदार व्याख्या दी जानी चाहिए कि पर्याप्त न्यायाधीश किया जाए, लेकिन केवल तब तक जब तक संबंधित पक्ष पर लापरवाही, निष्क्रियता या ईमानदारी की कमी का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, चाहे पर्याप्त कारण प्रस्तुत किया गया हो या नहीं, किसी विशेष मामले के तथ्यों पर निर्णय लिया जा सकता है और कोई स्ट्रैटजैकेट नहीं है। सूत्र संभव है। (मदनलाल बनाम श्यामलाल [(2002) 1 एस. सी. सी. 535:ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 100] और रामनाथ साओ बनाम गोवर्धन साओ [(2002) 3 एस. सी. सी. 195:ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 1201])

12. यह एक तय कानूनी प्रस्ताव है कि सीमा का कानून किसी विशेष पक्ष को कठोर रूप से प्रभावित कर सकता है, लेकिन जब अधिनियम इस तरह से निर्धारित करता है तो इसे अपनी पूरी कठोरता के साथ लागू किया जाना चाहिए।न्यायालय के पास न्यायसंगत आधार पर सीमा की अवधि बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है।"किसी वैधानिक प्रावधान से निकलने वाला परिणाम कभी भी बुरा नहीं होता है।एक अदालत के पास उस प्रावधान को नजरअंदाज करने की कोई शक्ति नहीं है जिसे वह अपने संचालन से उत्पन्न होने वाले संकट को दूर करने के लिए मानता है।" वैधानिक प्रावधान किसी विशेष पक्ष को कठिनाई या असुविधा का कारण बन सकता है लेकिन अदालत के पास इसे पूरी तरह से लागू

करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।कानूनी उक्ति ड्यूरा लेक्स सेड लेक्स जिसका अर्थ है "कानून कठिन है लेकिन यह कानून है", ऐसी स्थिति में आकर्षित होता है।यह लगातार माना गया है कि किसी अधिनियम की व्याख्या करते समय "असुविधा" एक निर्णायक कारक नहीं है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।

13. *सीमा का अधिनियम सार्वजनिक नीति पर आधारित है, इसका उद्देश्य समुदाय में शांति सुनिश्चित करना, झूठी गवाही और झूठी गवाही को दबाना, परिश्रम को तेज करना और उत्पीड़न को रोकना है।यह अतीत के उन सभी कृत्यों को दफनाने का प्रयास करता है जो अस्पष्ट रूप से उत्तेजित नहीं हुए हैं और समय के साथ बासी हो गए हैं। हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंगलैंड के अनुसार, वॉल्यूम 28,पी. 266:*

“605. सीमा अधिनियमों की नीति।–अदालतों ने सीमाओं के कानूनों के अस्तित्व का समर्थन करने वाले कम से कम तीन अलग-अलग कारण व्यक्त किए हैं, अर्थात् (1) लंबे समय से निष्क्रिय दावों में न्यायाधीश की तुलना में क्रूरता अधिक होती है, (2) हो सकता है कि एक प्रतिवादी ने एक पुराने दावे को गलत साबित करने के लिए सबूत खो दिया हो, और (3) कि कार्रवाई के अच्छे कारणों वाले व्यक्तियों को उचित परिश्रम के साथ उनका पीछा करना चाहिए।”

एक असीमित सीमा असुरक्षा और अनिश्चितता की भावना को जन्म देगी, और इसलिए, सीमा लंबे समय तक आनंद लेने से समानता और न्यायाधीश में जो हासिल किया जा सकता है या जो किसी पक्ष की अपनी निष्क्रियता, लापरवाही या बाधाओं से खो गया हो सकता है, उसमें गड़बड़ी या अभाव को रोकती है।(पोपट और कोटेचा संपत्ति बनाम एस. बी. आई. कर्मचारी संगठन देखें। [(2005) 7 एस. सी. सी. 510], राजेंद्र सिंह बनाम सांता सिंह [(1973) 2 एस. सी. सी. 705:ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 2537] और पुंडलिक जलम पाटिल बनाम जलगांव मध्यम परियोजना [(2008) 17 एस. सी. सी. 448:(2009) 5 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 907]।

14. पी. रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक राज्य (2002) 4 एस. सी. सी. 578:2002 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 830:ए. आई. आर. 2002 पीठ 1856] इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायिक रूप से सीमा के सिद्धांतों को शामिल करना कानून बनाने के बराबर है और अब्दुल रहमान अंतुले बनाम आर. एस. नायक [(1992) 1 पीठ सी. 225:1992 एससीसी (सीआरआई) 93:ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 1701]

15. इस मुद्दे पर कानून को इस प्रभाव से संक्षेपित किया जा सकता है कि जहां एक मामला प्रस्तुत किया गया है। अदालत को सीमा से परे, आवेदक को अदालत को यह समझाना होगा कि "पर्याप्त कारण" क्या था जिसका अर्थ है एक पर्याप्त और पर्याप्त कारण जो उसे सीमा के भीतर अदालत का दरवाजा खटखटाने से रोकता है।यदि कोई पक्ष लापरवाही करता हुआ पाया जाता है, या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उसकी ओर से ईमानदारी का अभाव पाया जाता है, या परिश्रमपूर्वक कार्य नहीं किया है या निष्क्रिय रहा है, तो देरी को माफ करने के लिए एक उचित आधार नहीं हो सकता है।किसी भी अदालत को किसी भी शर्त को लागू करके इस तरह की अत्यधिक देरी को माफ करने में उचित नहीं ठहराया जा सकता है।आवेदन पर निर्णय केवल विलंब की माफी के संबंध में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर किया जाना है।यदि किसी वादकारी को बिना किसी औचित्य के समय पर अदालत का दरवाजा खटखटाने से रोकने का कोई पर्याप्त कारण नहीं था, तो कोई भी शर्त रखना, वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए एक आदेश पारित करने के बराबर है और यह विधायिका की पूरी तरह से अवहेलना करने के समान है।"

19. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि पर्याप्त कारण का अर्थ है कि पक्ष को लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए था या किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उसकी ओर से ईमानदारी की कमी थी या यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि पक्ष ने "जानबूझकर काम नहीं किया" या "निष्क्रिय रहा"। हालाँकि, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को इस कारण से संबंधित न्यायालय को विवेक का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करना चाहिए कि जब भी न्यायालय विवेक का प्रयोग करता है, तो इसका

विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए।आवेदक को अदालत को संतुष्ट करना चाहिए कि उसे अपने मामले पर मुकदमा चलाने से किसी भी "पर्याप्त कारण" से रोका गया था, और जब तक कि एक संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तब तक अदालत को देरी की माफी के लिए आवेदन की अनुमति नहीं देनी चाहिए।न्यायालय को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या गलती प्रामाणिक है या केवल अंतिम उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक उपकरण था जैसा कि किया गया है **मणींद्र भूमि एवं भवन निगम लिमिटेड बनाम भूतनाथ बनर्जी और अन्य ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1336, में आयोजित, लाला मातादिन बनाम ए. नारायणन, (1969) 2 एस. सी. सी. 770, परिमल बनाम वीणा @भारती, (2011) 3 एस. सी. सी. 545 और मनीबेन देवराज शाह बनाम बृहन्मुंबई नगर निगम, (2012) 5 एससीसी 157**

20. उपरोक्त निर्णयों में आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 'पर्याप्त कारण' अभिव्यक्ति को यह सुनिश्चित करने के लिए एक उदार व्याख्या दी जानी चाहिए कि पर्याप्त न्यायाधीश किया जाए, लेकिन केवल तब तक जब तक संबंधित पक्ष पर लापरवाही, निष्क्रियता या ईमानदारी की कमी का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, चाहे पर्याप्त कारण प्रस्तुत किया गया हो या नहीं, किसी विशेष मामले के तथ्यों पर निर्णय लिया जा सकता है और कोई स्ट्रैटजैकेट सूत्र संभव नहीं है, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायाधीशालय द्वारा राम नाथ साव @ रामनाथ साहू और अन्य बनाम गोबरधन साओ और अन्य, (2002) 3 एससी 195 में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें, अनुच्छेद-12 में, इसे इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया हैः-

> *"12. इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिनियम की धारा 5 या संहिता के आदेश 22 नियम 9 या किसी अन्य समान प्रावधान के अर्थ के भीतर "पर्याप्त कारण" अभिव्यक्ति को एक उदार निर्माण प्राप्त होना चाहिए ताकि पर्याप्त न्यायाधीश को आगे बढ़ाया जा सके जब कोई लापरवाही या निष्क्रियता या ईमानदारी की कमी किसी पक्ष के लिए आरोप योग्य न हो।किसी विशेष मामले में प्रस्तुत स्पष्टीकरण "पर्याप्त कारण" का गठन करेगा या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।कदम उठाने में हुई देरी के लिए दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कोई स्ट्रैटजैकेट सूत्र नहीं हो सकता*

है।लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अदालतों को दिखाए गए कारण में गलती खोजने की प्रवृत्ति के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए और निपटान अभियान के अति-समन्वय में एक गलत आदेश द्वारा याचिका को अस्वीकार नहीं करना चाहिए।प्रस्तुत स्पष्टीकरण की स्वीकृति नियम और इनकार होना चाहिए, एक अपवाद, विशेष रूप से तब जब चूक करने वाले पक्ष पर कोई लापरवाही या निष्क्रियता या ईमानदारी की कमी का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।दूसरी ओर, मामले पर विचार करते समय अदालतों को इस तथ्य को नजरअंदाज न करें कि निर्धारित समय के भीतर कदम नहीं उठाने से दूसरे पक्ष को एक मूल्यवान अधिकार प्राप्त हुआ है जिसे नियमित रूप से देरी को माफ करके हल्के में पराजित नहीं किया जाना चाहिए।हालांकि, मामले के बारे में एक पांडित्यपूर्ण और अति-तकनीकी दृष्टिकोण अपनाने से दिए गए स्पष्टीकरण को तब खारिज नहीं किया जाना चाहिए जब मामले में दांव अधिक हों और/या तथ्यों और कानून के तर्कपूर्ण बिंदु शामिल हों, जिससे उस पक्ष को भारी नुकसान और अपूरणीय क्षति हो, जिसके खिलाफ एल. आई. एस. या तो डिफ़ॉल्ट रूप से या निष्क्रियता से समाप्त हो जाता है और योग्यता के आधार पर निर्णय लेने के लिए ऐसे पक्ष के मूल्यवान अधिकार को विफल कर देता है।मामले पर विचार करते समय, अदालतों को उस आदेश के परिणामी प्रभाव के बीच संतुलन बनाना होगा जो यह दोनों पक्षों को किसी भी तरह से पारित करने जा रहा है।"

21. यह न्यायालय, उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार करने और विलंब क्षमा आवेदन में दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद, इस बात की जांच करने के लिए आगे बढ़ रहा है कि क्या प्रस्तुत स्पष्टीकरण को देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त स्पष्टीकरण कहा जा सकता है।

22. ऊपर उल्लिखित निर्णयों से यह स्पष्ट है, जिसमें 'पर्याप्त कारण' अभिव्यक्ति से निपटा गया है, जिसका अर्थ है कि पक्ष को लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए था या किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उसकी ओर से ईमानदारी की कमी थी या यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि पक्ष ने "जानबूझकर काम नहीं किया" या "निष्क्रिय रहा"।

23. यह विवादित निर्णय से स्पष्ट है जो राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की उपस्थिति में 15.09.2022 पर पारित किया गया था, लेकिन प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन की तारीख 15.03.2023 पर थी, यानी लगभग 6 महीने के अंतराल के बाद।प्रमाणित प्रति 22.03.2023 पर प्रदान की गई थी।तत्काल लेटर्स पेटेंट अपील 14.02.2023 पर दायर की गई है।

24. जैसा कि प्रस्तुत स्पष्टीकरण से दिखाई देगा, जिसमें, यह कहा गया है कि अपील को प्राथमिकता देने का निर्णय लेने में समय लिया गया था और कुछ समय बाद, अपील को प्राथमिकता देने के लिए राय दी गई थी, उसके बाद, अपील को प्राथमिकता देने के लिए तथ्यों के विवरण की तैयारी, संबंधित विधि अधिकारी के साथ इसका निपटान और अंतिम मसौदा ज्ञापन तैयार करने के उद्देश्य से फाइलिंग वकील को सौंपने से पहले अन्य निर्णय लिए गए थे।

25. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि अपील दायर करने में हुई देरी को माफ करने के लिए दिए गए कारण को देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं कहा जा सकता है।

26. इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने एल. पी. ए. संख्या 86/2021 में विलंब माफी आवेदन को खारिज करने पर एक आदेश पारित किया है क्योंकि देरी को माफ करने के लिए बिना किसी पर्याप्त कारण के लगभग 687 दिनों की देरी के बाद अपील दायर की गई थी।

27. एल. पी. ए. संख्या 835/2019 में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित एक आदेश में एक अन्य मामले का संदर्भ दिया जाना आवश्यक है, जिसमें 568 दिनों की देरी को माफ करने का मुद्दा विचाराधीन था।

28. इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने राज्य अपीलार्थियों द्वारा उसमें प्रस्तुत किए गए कारण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा करके फाइल को एक मेज से दूसरी मेज पर ले जाने के आधार पर पर्याप्त कारण नहीं पाया है, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है।

29. राज्य अपीलकर्ता ने एस. एल. पी. संख्या 7755/2022 के रूप में एस. एल. पी. दाखिल करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय की यात्रा की है और एल. पी. ए. संख्या 835/2019 में

पारित आदेश को चुनौती दी है, लेकिन 18 की उक्त एस. एल. पी. संख्या 7755/2022 खारिज कर दिया गया है जैसा कि दिनांकित 13.05.2022 आदेश से दिखाई देगा।

30. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 28 अप्रैल, 2023 को झारधारा राज्य द्वारा दायर एक विशेष अपील अनुमति (सी) को खारिज कर दिया है, जो इस न्यायालय द्वारा 2021 के एल. पी. ए. में पारित आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने अपील दायर करने में 534 दिनों की देरी के आधार पर उक्त अपील को खारिज कर दिया था।

31. हाल ही में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने झारधारा राज्य द्वारा एल. पी. ए. संख्या 401/2022 में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 14.08.2023 के आदेश के खिलाफ दायर 02.02.2024 पर एस. एल. पी. (सी) डायरी संख्या (एस) संख्या 3188/2024 को भी खारिज कर दिया है, जिसमें 259 दिनों की देरी को माफ नहीं किया गया था।

32. यह न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत को लागू करते हुए और इस तथ्य पर भी विचार करता है कि 177 दिनों की देरी को पर्याप्त रूप से समझाया नहीं गया है और इस प्रकार, तत्काल मध्यस्थ आवेदन खारिज किए जाने के योग्य है।

33. तदनुसार, आई. ए. संख्या 6955/2023 विलंब माफी आवेदन इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

34. इसके परिणामस्वरूप, तत्काल लेटर्स पेटेंट अपील भी खारिज हो जाती है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया०.)

(अरुण कुमार राय, न्याया.०.)

रोहित/- **ए. एफ. आर.**

<u>यह अनुवाद (तलत परवीन), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।</u>